उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या 1/2017-18
दिनांक 24.10.2017

सत्यमेव जयते

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि : 21.11.2017
आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि : 24.11.2017
ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि : 01.12.2017

''**विशेष सूचनाः-** (क) ''बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आनलाइन आवेदन स्वीकारनहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन 'Submit' करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क से कम अथवा अधिक जमा की गयी धनराशि भी किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।'' (ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कालम में अपना मोबाइल नम्बर देना होगा। जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नम्बर पर आयोग द्वारा भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा दिये जायेंगे।

अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त आन-लाइन आवेदन के हार्ड कापी के साथ आवेदित पद के सापेक्ष आन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर (दिनांक 01/12/2017 सायं 6:00 बजे तक) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि अनावश्यक विलम्ब एवं अवांछित परिस्थितियों से बचने के लिये आनलाइन आवेदन SUBMIT करने के तत्काल बाद आनलाइन आवेदन की हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित भेजना सुनिश्चित करें। इस प्रयोजन हेतु पते की पर्ची आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर चस्पा कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आनलाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website http://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ''आन-लाइन आवेदन पद्धति'' (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

''आन-लाइन आवेदन'' करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

1. आयोग की **http://uppsc.up.nic.in पर "ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS"** अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं-

(i) User Instructions
(ii) View Advertisement
(iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ''आनलाइन आवेदन पद्धति'' लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आन-लाइन आवेदन हेतु 'APPLY' पर Click करें।

''आन-लाइन आवेदन'' करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगाः-

प्रथम चरण - APPLY Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Candidate Registration' प्रदर्शित होगा तथा 'Candidate Registration' Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गयी सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो 'Click here to modify' पर क्लिक करें। भरी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात 'Submit Application' पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Click here to proceed for payment' कैप्सन के साथ 'Fees to be deposited [in INR]' प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्सन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक 'MOPS (Multi Option Payment System)' का Home Page प्रदर्शित होगा। जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे।

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENTS MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात Payment Acknowledgement Receipt (PAR) प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात 'Proceed for final submission of application form (Part-2)' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनायें भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आन लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गयी है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद 'PREVIEW' को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु 'Submit' बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 'Submit' बटन को Click करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। 'Submit' बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. एक बार आवेदन 'Submit' करने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।

3. आवेदन शुल्क : आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। **श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-**

1.	अनारक्षित (सामान्य)	-	परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	परीक्षा शुल्क रु0 80/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 105/-
3.	अनुसूचित जाति	-	परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
4.	अनुसूचित जनजाति	-	परीक्षा शुल्क रु0 40/- आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 65/-
5.	विकलांग श्रेणी	-	परीक्षा शुल्क NIL + आन-लाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25/- योग कुल रु0 25/-
6.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	-	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
7.	भूतपूर्व सैनिक	-	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
8.	महिला	-	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग के समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. सबमिट किये गये आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क के साथ अन्तिम तिथियों तक वे दूसरा आवेदन संशोधित सूचना के साथ आन लाइन प्रेषित कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन submit करने की दशा में केवल उस रजिस्ट्रेशन नम्बर का आवेदन पत्र जो सबसे बाद में submit किया जायेगा, अन्तिम रूप से मान्य होगा।

अभ्यर्थियों से निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद/पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग

01 (एक) पद प्रवक्ता एन उजन अनफ हलक- (अग्रेनीत) प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के लिए । **(विभाग संख्या-** सेवा-11/22) (विशेष चयन), **पद का रूवरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई, **आरक्षण-** पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** रू. 8000-275-13500/- (पूर्व वेतनमान), **अर्हताएं-अनिवार्य- (1)** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। **(2)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। **(3)** हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। **(4)** यूनानी प्राध्यापक के मामले में यदि जराहत चश्म, अमराजे उजन और हलक विषयों के यूनानी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो यूनानी में स्नातक उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी, जिनका इन विषयों में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, उनके बारे में विचार किया जा सकता है और यदि ऐसे यूनानी स्नातक उपलब्ध न हों तो एम0बी0बी0एस0 उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी जो भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत हों, के मामले में भी विचार किया जा सकता है। **अधिमानी अर्हता- (1)** शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **आयुः-** न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। **अन्य शर्त एवं अर्हता-** नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (4) सरकार द्वारा मान्यता प्रात संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव व प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य यूनानी चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग

01 (एक) पद प्रवक्ता तशरीह-उल-बदन, (अग्रेनीत) प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के लिये, (**विभाग संख्या-** सेवा-11/2) (विशेष चयन), **पद का स्वरूप** राजपत्रित एवं स्थाई, **आरक्षण-** 01 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** रू0 15600-39100/-, **ग्रेड वेतन-** रू0 5400/-, **अर्हताएं- अनिवार्य- (1)** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य हैं, से यूनानी में **पांच** वर्ष की उपाधि, **(2)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता, **(3)** हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान, **अधिमानी अर्हता- (1)** शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन, **आयुः-** न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्तें एवं अर्हता-** नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है, **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी, **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। **(4)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा निदेशक, राज्य यूनानी सेवाएं अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।

उ0प्र0 प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग

01 (एक) पद प्रवक्ता मोआलेजात- (अग्रेनीत) (विशेष चयन) प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के लिए। **(विभाग संख्या-** सेवा-11/4), **पद का रूवरूप-** राजपत्रित एवं स्थाई, **आरक्षण- 01** पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित। **वेतनमान-** रू.15600/-39100/- **ग्रेड वेतन-** रू. 5400/-, **अर्हताएं-अनिवार्य- (1)** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, से यूनानी में **पाँच** वर्ष की उपाधि। **(2)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। **(3)** हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। **अधिमानी अर्हता-** शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन, **आयुः-** न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्त एवं अर्हता-** नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3, हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (यूनानी) विभाग

01 (एक) पद प्रवक्ता जराहत- प्रदेश के राजकीय यूनानी महाविद्यालयों के लिए। (विशेष चयन) (अग्रेनीत), **(विभाग संख्या-** सेवा-11/08), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं स्थाई, **आरक्षण-** पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** रू. 15,600-39100/-, **ग्रेड पे-** रू. 5400/-, **अर्हताएं अनिवार्य- (1)** विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य/बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, से यूनानी में **5** वर्ष की उपाधि। **(2)** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता। **(3)** हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी का कार्यसाधक ज्ञान। **(4)** यूनानी प्राध्यापक के मामले में यदि जराहत चश्म, अमराजे उजन और हलक विषयों के यूनानी स्नातकोत्तर अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो यूनानी में स्नातक उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी, जिनका इन विषयों में **तीन** वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, उनके बारे में विचार किया जा सकता है और यदि ऐसे यूनानी स्नातक उपलब्ध न हों तो एम0बी0बी0एस0 उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी जो भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत हों, के मामले में भी विचार किया जा सकता है। **अधिमानी अर्हता- (1)** शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **आयुः-** न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। **अन्य शर्त एवं अर्हता-** नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय यूनानी कालेज में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू या अरबी या फारसी के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। **(4)** सरकार द्वारा मान्यता प्रात संस्था से

पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य यूनानी चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक) विभाग

01 (एक) **पद रीडर संहिता, संस्कृत और सिद्धान्त,** प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों हेतु (अग्रेनीत), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/23) (विशेष चयन), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं स्थायी, **आरक्षण-** उक्त पद 30प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** 15600-39100/-, **ग्रेड-वेतन-** रू. 6600/-, **अर्हताएं- (अनिवार्य)-** (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पाँच वर्ष की उपाधि **या** भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की पाँच वर्ष की उपाधि जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सम्बन्धित विषय के अध्यापन का **सात** वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल पाँच वर्ष)। (3) हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **अधिमानी अर्हताएं-** (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (2) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन, **आयुः** न्यूनतम 28 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्तें एवं अर्हता -** नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। समकक्ष अर्हताएं स्वीकार नहीं की जायेंगी। **नोटः-** (1) पद नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित है। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (4) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (5) आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेदिक) विभाग

01 (एक) **पद रीडर स्वस्थ वृत्त,** प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में (अग्रेनीत), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/03) (विशेष चयन), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई, **आरक्षण-** उक्त पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** 10,000-325-15,200 (संशोधन पूर्व), **अर्हताएं- (अनिवार्य)-** (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में **पाँच** वर्ष की उपाधि **या** भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की **पाँच** वर्ष की उपाधि जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सम्बन्धित विषय में अध्यापन का **सात** वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल **पाँच** वर्ष)। (3) हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **अधिमानी अर्हताएं-** (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (2) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन, **आयुः** न्यूनतम 28 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष। (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्तें एवं अर्हता -** नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोटः-** (1) पदों का वेतनमान शासन द्वारा अनुमन्य संशोधित वेतनमान होगा। (2) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य सभी प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (4) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3, हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (5) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (6) आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद) विभाग

01 (एक) **पद प्रोफेसर शल्य तन्त्र,** प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों हेतु (अग्रेनीत), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/09) (विशेष चयन), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं स्थायी, **आरक्षण-** 30प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** 15600-39100/-, **ग्रेड-पे-** रू. 7600/-, **अर्हताए अनिवार्य-** (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में पाँच वर्ष की उपाधि **या** भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य, बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की पांच वर्ष की उपाधि। (2) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का **10** वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल **08** वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर **तीन** वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (3) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **अधिमानी अर्हताएं-** (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (2) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन, **आयुः** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्त एवं अर्हता -** नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोटः-** (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (4) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (5) आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद) विभाग

01 (एक) **पद प्रोफेसर रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना,** प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों हेतु (अग्रेनीत), (विशेष चयन), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/10), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थायी, **आरक्षण-** 01 पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** रू0 12000-375-16500 (संशोधन पूर्व), **अर्हताएं-अनिवार्य-** (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में **पाँच** वर्ष की उपाधि **या** भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य, बोर्ड या संकाय, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की **पांच** वर्ष की उपाधि। (2) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का **10** वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल **08** वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उपाचार्य के पद पर **तीन** वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (3) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। **अधिमानी अर्हताएं-** (1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। (2) शोध कार्य और मौलिक-पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन। **आयुः** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), **अन्य शर्त एवं अर्हता -** नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यर्थी को प्रदेश के किसी भी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उनके समकक्ष पद पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। **नोटः-** (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य अर्हता संख्या-3 हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के कार्यसाधक ज्ञान की पुष्टि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/अंकपत्र की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करके प्रेषित करेंगे। (4) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (5) आनलाइन आवेदन-पत्र के अनिवार्य अर्हता सम्बन्धी कालम में सभी वर्षों के प्राप्तांक/पूर्णांक के योग का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जाय।

30प्र0 चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए **प्रोफेसर** के निम्न अग्रेनीत (विशेष चयन) पद-

क्रम सं0	पदों का नाम	कुल पदों की संख्या	सामान्य	ओ0बी0 सी0	एस0 सी0	एस0 टी0	विभाग संख्या
1	**प्रोफेसर फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री**	01	-	-	01	-	एस-11/24

पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना, **वेतनमान-** वेतन बैण्ड-3, रू. 15,600-39,100/- ग्रेड वेतन-रू. 7600/-, **आरक्षण-** 30प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानतः होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। **(ख)** होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सहआचार्य के रूप में **तीन** वर्ष का अध्यापन अनुभव या सम्बन्धित विषय में **दस** वर्ष का अध्यापन अनुभव, **अधिमानी अर्हताएं- (क)** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिये होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम-1973 की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या होम्योपैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। **आयुः-** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्तें एवं अर्हता-** उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-1981 की धारा-6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत-09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। **नोटः-** (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की प्राप्तांकों की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग

02 (दो) **पद प्रोफेसर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन** (अग्रेनीत) (सामान्य चयन), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना, **वेतनमान-** वेतनबैण्ड -3, रू. 15600-39100/- **ग्रेड वेतन-** रू 7600/- (संशोधन पूर्व), **आरक्षण-** 01 पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति तथा **01** पद 30प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, (**विभाग संख्या-** सेवा-11/1), **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री **या** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानतः होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, **(ख)** होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में **तीन** वर्ष का अध्यापन अनुभव या सम्बन्धित विषय में **दस** वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं- (क)** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। **आयुः** 30 वर्ष से 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्तें एवं अर्हता -** उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-1981 की धारा-6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत 09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। **नोटः-** (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथी चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/ प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

30प्र0 चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग

02 (दो) **पद प्रोफेसर सर्जरी** प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए (अग्रेनीत) (विशेष चयन), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/5), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, **आरक्षण-** 01 पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति एवं 01 पद 30प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** वेतन बैण्ड-3, रू 15,600-39100/- ग्रेड वेतन-रू0 7600/-, **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानतः होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। **(ख)** होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सहआचार्य के रूप में **तीन** वर्ष का अध्यापन अनुभव या सम्बन्धित विषय में दस वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं- (क)** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम-1973 की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या होम्योपैथी क्रेन्द्रीय अनुसंधान परिषद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। **आयुः-** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्तें एवं अर्हता-** उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-1981 की धारा-6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत-09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। **नोटः-** (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। (3) अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आनलॉइन आवेदन में करें तथा अभिलेखों की मांग के समय सभी अंक तालिकाएं जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग

04 (चार) **पद प्रोफेसर मटेरिया मेडिका** प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के लिए (अग्रेनीत), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/06) (विशेष चयन), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, **आरक्षण-** 02 पद 30प्र0 के अनुसूचित जाति एवं 02 पद 30प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** वेतनबैण्ड -3, वेतनमान रू. 15600-39100/-, **ग्रेड वेतन-** रू 7600/-, **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री **या** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में सम्बन्धित विषय में **तीन** वर्ष के अध्यापन अनुभव को सम्मिलित करते हुए **दस** वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, दोनों रखता हो, **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। **आयुः** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार), इसके अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्तें एवं अर्हता -** उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-1981 की धारा-6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत 09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। **नोटः-** (1) 30प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति

प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों तथा पूर्णांकों का उल्लेख आन लाइन आवेदन में करें तथा अभिलेख की मांग के समय सभी अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथिक) विभाग

02 (दो) पद प्रोफेसर फोरेन्सिक मेडिसिन प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालयों के लिए (अग्रेनीत) (विशेष चयन), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/07), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थाई किन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है। **वेतनमान-** वेतनबैण्ड -3, वेतनमान- रू. 15600-39100/-, **ग्रेड वेतन-** रू 7600/-, **आरक्षण- 01** पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों एवं **01** पद उ0प्र0 के अ0पि0व0 के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित। **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री **या** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री अधिमानतः होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, **(ख)** होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सहआचार्य के रूप में **तीन** वर्ष का अध्यापन अनुभव या सम्बन्धित विषय में **दस** वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं- (क)** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों के लिए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् या होम्योपैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में किसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव। **आयुः** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं। **अन्य शर्त एवं अर्हता -** उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-1981 की धारा-6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथ महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत 09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग

02 (दो) पद प्रोफेसर होम्योपैथिक फार्मेसी, प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों हेतु (अग्रेनीत), (विशेष चयन), (**विभाग संख्या-** सेवा-11/11), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित एवं अस्थायी परन्तु भविष्य में चलते रहने की संभावना है, **आरक्षण-** 01 पद उ0प्र0 के अनुसूचित जाति एवं 01 पद उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, **वेतनमान-** वेतनबैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100/-, ग्रेड वेतन-रू0 7600/-, **अर्हताएं- अनिवार्य- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता। **(ख)** किसी मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में उपाचार्य या सह आचार्य के रूप में सम्बन्धित विषय में **तीन** वर्ष के अध्यापन अनुभव को सम्मिलित करते हुए **दस** वर्ष का अध्यापन अनुभव। **अधिमानी अर्हताएं- (क)** होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई अर्हता, दोनों रखता हो। **(ख)** होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या यूनिट में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक अनुभव या शोध अनुभव।, **आयुः** न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 50 वर्ष (आरक्षित वर्ग हेतु आयु में छूट नियमानुसार)। इसके अतिरिक्त राज्यपाल आयोग के परामर्श से किसी असाधारण योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी के मामले में विहित आयु-सीमा को शिथिल कर सकते हैं, **अन्य शर्तें एवं अर्हता -** उत्तर प्रदेश होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन एवं प्रकीर्ण उपबन्ध (अधिनियम-1981 की धारा-6 (3) के अनुसार किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय) प्रान्तीयकृत 09 विद्यालयों से भिन्न) सेवारत कोई अध्यापक उस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, तो ऐसे अध्यापकों को अन्य अध्यापकों की तुलना में अधिमान्य का हकदार होगा। **नोटः- (1)** उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्तमान में लागू पेंशन योजना अनुमन्य होगी। **(2)** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिये तथा राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा के निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। **(3)** अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से अनिवार्य अर्हता के संदर्भ में सभी सेमेस्टर्स की अंकतालिकाएं, जिसमें अधिकतम अंक/न्यूनतम अंक/प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख हो, अन्य प्रमाण-पत्रों के साथ संलग्न करके प्रस्तुत करेंगे।

भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0

भूगर्भ जल विभाग, उ0 प्र0 में समूह ''ख'' के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन

क्र0 सं0	विभाग संख्या	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या (अनारक्षित/सामान्य)
1	2	3	4
1	एस-12/1	रसायनज्ञ	01
2	एस-12/2	जल विज्ञानी (नाभिकीय जल विज्ञान और विद्युत	01

पद का स्वरूप- राजपत्रित/स्थाई। **वेतनमान-** रू. 15600-39100/-, **ग्रेड पे-** रू0 5400/-, **आयु-** 21 से 40 वर्ष (आयु में छूट नियमानुसार) उच्चतर आयु सीमा ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के परामर्श से शिथिल की जा सकती है, जो अन्यथा अच्छी अर्हता प्राप्त हो। **(1) पद का नाम :** रसायनज्ञ, **अर्हतायें - अनिवार्य अर्हताः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **अधिमानी अर्हताः-** भू-रसायन के सर्वेक्षण या अन्वेषण का 02 वर्ष का अनुभव। **(2) पद का नामः जल विज्ञानी (नाभिकीय जल विज्ञान और विद्युत), अर्हतायें - अनिवार्य अर्हताः-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित इलेक्ट्रानिक्स में विशिष्टता के साथ भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों सहित विद्युत अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। **अधिमानी अर्हताः-** नाभिकीय भू-जल (न्यूक्लियर हाइड्रोलॉजी) में 02 वर्ष का अनुभव।

उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0

शुद्धि पत्र

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-5/2016-17 दिनांक 17.03.2017 के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में 14 विषयों के प्रवक्ता के कुल 408 पद विज्ञापित किये गये थे। शासन द्वारा उक्त विषयों के पदों की संख्या में वृद्धि की गयी है तथा कतिपय नये विषयों के प्रवक्ता पद हेतु अधियाचन प्राप्त हुए हैं, इसके अतिरिक्त कतिपय विषयों में विगत चयनों से अग्रेनीत पदों को पुनर्विज्ञापित किया जाना है। इस प्रकार पूर्व विज्ञापित, नवीन अधियाचित तथा अग्रेनीत पदों को सम्मिलित करते हुए संशोधित पदों का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0 सं0	विषय	विभाग संख्या	रिक्त पद	सामान्य	उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग	उ0प्र0 के अनुसूचित जाति	उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अर्थशास्त्र	एस-3/16	42	24	11	07	-
2	इतिहास	एस-3/17	45	25	12	07	01
3	अंग्रेजी	एस-3/18	52	30	13	09	-
4	गणित	एस-3/19	42	20	11	10	01
5	गृह विज्ञान	एस-3/20	45	26	12	07	-
6	जन्तु विज्ञान	एस-3/21	42	21	12	08	01
7	भौतिकी	एस-3/22	45	22	13	08	02
8	मनोविज्ञान	एस-3/23	31	15	10	06	-
9	रसायन विज्ञान	एस-3/24	44	24	11	08	01
10	राजनीतिशास्त्र	एस-3/25	58	34	14	10	-
11	वनस्पतिविज्ञान	एस-3/26	45	22	13	09	01
12	वाणिज्य	एस-3/27	87	47	22	16	02
13	समाजशास्त्र	एस-3/28	20	13	05	02	-
14	हिन्दी	एस-3/29	57	32	14	10	01
15	उर्दू	एस-3/30	06	04	02	-	-
16	प्राचीन इतिहास	एस-3/31	02	01	-	01	-
17	भूगोल	एस-3/32	07	04	01	02	-
18	मानव शास्त्र	एस-3/33	01	01	-	-	-
19	शिक्षा शास्त्र	एस-3/34	08	04	02	02	-
20	संस्कृत	एस-3/35	05	02	02	01	-
21	सैन्यविज्ञान/ रक्षा अध्ययन	एस-3/36	03	03	-	-	-
22	संगीत गायन	एस-3/37	03	02	01	-	-
23	संगीत वादन (सितार)	एस-3/38	01	01	-	-	-
24	संगीत वादन (तबला)	एस-3/39	01	-	01	-	-
25	बी0एड0	एस-3/40	21	09	04	05	03
26	दर्शनशास्त्र	एस-3/41	02	02	-	-	-
27	माइक्रोबायोलाजी	एस-3/42	01	01	-	-	-
28	सांख्यिकी	एस-3/43	01	-	01	-	-
29	फारसी	एस-3/44	01	-	-	01	-
		योग-	718	389	187	129	13

• **नोट- 1.** ''क्षैतिज आरक्षण विषयवार रिक्त पदों पर नियमानुसार देय होगा।'' 2- उपर्युक्त पदों में **प्रवक्ता- सैन्य विज्ञान/रक्षा अध्ययन** का 01 पद (अनारक्षित), **प्रवक्ता- बी0एड0** के 02 पद (अनुसूचित जनजाति), **प्रवक्ता- माइक्रोबायोलाजी** के 01 पद (अनारक्षित), **प्रवक्ता-सांख्यिकी** का 01 पद (ओबीसी) तथा **प्रवक्ता- फारसी** का 01 पद (अनुसूचित जाति) सहित कुल **06** ऐसे पद सम्मिलित किये गये हैं जो विगत चयनों में उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण आयोग द्वारा पुनर्विज्ञापन हेतु अग्रेनीत किये गये थे। **2- अनिवार्य शैक्षिक अर्हतायें- (क) (प्रवक्ता- बी0एड0 को छोड़कर अन्य विषयों के प्रवक्ता पद हेतु)** 1- उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ सुसंगत विषय में किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम **55%** प्राप्तांक अथवा वर्गमाप में समतुल्य ग्रेड, जहां कहीं ग्रेडिंग सिस्टम का अनुसरण किया जाता हो। 2- यू0जी0सी0/ सी0एस0आई0आर0 से सुसंगत विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा उ0प्र0 राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (सेट) में उत्तीर्ण होना। **(ख) (प्रवक्ता बी0एड0 पद हेतु) 1-** उत्तम शैक्षिक अभिलेख के साथ शिक्षा (एम0एड0) में न्यूनतम **55** प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समतुल्य सात सूत्रीय वर्गमाप में 'बी' ग्रेड। **2-** किसी स्कूल विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। **3-** सुसंगत विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण अथवा उ0प्र0 राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्लेट) उत्तीर्ण अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित अन्य राज्य की (स्लेट) परीक्षा जून, 2002 के पूर्व उत्तीर्ण। **नोट-** उपर्युक्त क तथा ख श्रेणी में प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति हेतु यू0जी0सी0 के मानक एवं प्रक्रिया (जिसका विस्तृत उल्लेख मूल विज्ञापन संख्या-5/2016-17 में किया गया है) के अनुसार पी0एच0डी0 उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी। इसके अतिरिक्त **प्रवक्ता संगीत (गायन/वादन)** पद हेतु ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी, जो पारम्परिक एवं व्यवसायिक कलाविद जिससे अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यवसायिक उपलब्धि की है और जो धारित करता हो- **(अ)** उसमें सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारंपरिक गुरूजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है। **(ब)** दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो तथा **(स)** उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में तार्किक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो। **3- उत्तम शैक्षिक अभिलेख निम्नवत् होंगेः-** शासनादेश संख्या-1129/सत्तर-1-2013-15(14)/92 टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 के अनुसार सुसंगत स्नातक उपाधि या उपाधियों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक। **4- स्नातकोत्तर स्तर पर प्राप्ताकों में छूट- (I)** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पृथक रूप से सक्षम (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रूप से सक्षम), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (गैर समृद्ध श्रेणियों) हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर पात्रता 55 प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक की छूट का लाभ अनुमन्य है। पात्रता सम्बन्धी 55 प्रतिशत अंक (अथवा एक समस्तरीय ग्रेड एक प्वाइंट स्केल में जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा उपरोक्त श्रेणियों के लिये दी जाने वाली 5 प्रतिशत की छूट की अनुमति केवल अर्हकारी अंकों पर आधारित, अनुग्रहांक सम्मिलित किये बिना, होगी। **(II)** ऐसे पी0एच0डी0 उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्होंने 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि धारित की है, को स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। **5- उपर्युक्त क्रमांक-2 पर अंकित प्रवक्ता (इतिहास)** पद हेतु मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे। **6-** ऐसी स्थिति जहां पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो **55** प्रतिशत के सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो, वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जायेगी। **नोट- (I) विज्ञापन की शेष शर्तें यथा आयुसीमा, आयुगणना की निश्चायक तिथि, पद का स्परूप, वेतनक्रम, आवेदन शुल्क वही होगी जैसा कि मूल विज्ञापन संख्या-5/2016-17 में अंकित है। अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व मूल विज्ञापन संख्या-5/2016-17 दिनांक 17.03.2017 का अध्ययन अवश्य कर लें। (II) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मूल विज्ञापन संख्या-5/2016-17 के संदर्भ में पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन किया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके आवेदन पत्रों पर उपर्युक्त संशोधित पदों की संख्या के अनुसार विचार किया जायेगा। (III) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आनलाइन आवेदन कर दिया है, परन्तु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है अर्थात आनलाइन आवेदन की हार्ड कापी तथा शैक्षिक अभिलेख निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये हैं अथवा निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्रेषित किये हैं। उन्हें पुनः आनलाइन आवेदन कर आवेदन की हार्ड कापी तथा शैक्षिक अभिलेख निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनके पूर्व आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। (IV) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने क्रमांक-1 से 14 तक के पदों में पूर्व में आवेदन नहीं किया है तथा ऐसे अभ्यर्थी जो क्रमांक 15 से 29 पर विज्ञापित नये विषयों के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।**

खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश

03 (तीन) पद क्रीड़ा अधिकारी, (सामान्य चयन), **आरक्षण-** 02 पद उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित), (**विभाग संख्या-** सेवा-03/01), **पद का स्वरूप-** राजपत्रित/स्थायी, **वेतनबैण्ड-** रू0 9300-34800/- तथा, **ग्रेडवेतन-**रू0 4800/-, **अनिवार्य अर्हताएं- (1)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक **(2)** सुसंगत खेल में प्रशिक्षण (कोचिंग) में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, बेंगलौर, कोलकता, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान त्रिवेन्द्रम, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, के समकक्ष ऐसे सभी संस्थान जो कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो से डिप्लोमा। **(3)** दो वर्ष का कोचिंग में अनुभव। **नोटः- (1) अनिवार्य अर्हता-2** के सन्दर्भ में कार्य की आवश्यकता के अनुसार, एथलेटिक्स, लान टेनिस, जिम्नास्टिक्स, तैराकी एवं बास्केटबाल खेलों में अर्हतायें स्वीकार की जायेंगी। अतः उक्त खेलों में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। **अधिमानी अर्हताएं- (1)** खेल प्रतियोगितायें आयोजित करने का **एक वर्ष** का अनुभव **(2)** शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र। **अन्य अर्हतायें -** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने- **1.** प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या **2.** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **आयुः-** 21 से 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट) परन्तु- **(1)** यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो पहले से सरकारी सेवा में हों, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी उसने सरकारी सेवा की हो **(2)** यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो पहले से उ0प्र0 राज्य कर्मचारी हों उन्हें शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2013 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयुसीमा में **5 वर्ष** की छूट दी जायेगी। **नोटः-** पैरा 1 व 2 में उल्लिखित आयु सीमा में छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, देय होगी।

पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0

03 (तीन) पद सहायक निदेशक (सामान्य चयन), **श्रेणी-अनारक्षित, पद का स्वरूप -** राजपत्रित /02 पद स्थायी तथा 01 पद अस्थायी, **वेतन बैण्ड-** रू0 15,600-39,100/- तथा **ग्रेड पे-** रू0- 5400/- **पे बैण्ड**-3 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेबल-10 में **वेतनमान** -रू0 56100-177500/-).

क्रम संख्या	पद का नाम	विभाग संख्या	रिक्त पद
1	सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग)	एस-3/02	01
2	सहायक निदेशक (पर्यावरण इंजीनियरिंग)	एस-3/03	01
3	सहायक निदेशक (खनन इंजीनियरिंग)	एस-3/04	01

अनिवार्य अर्हताएं- 1. सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरिंग) पद हेतु- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता। **2. सहायक निदेशक (पर्यावरण इंजीनियरिंग) पद हेतु-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता। **3. सहायक निदेशक (खनन इंजीनियरिंग) पद हेतु-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खनन इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अर्हता। **अधिमानी अर्हताएं- (एक)** अभियंत्रण या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित अर्हता या अभियंत्रण या प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट उपाधि। **(दो)** जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **(तीन)** जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का -बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। **नोटः-** उक्त पद तथा अर्हतायें पर्यावरण विभाग में काम की अपेक्षानुसार विज्ञापित की जा रही हैं। **आयुः-** 21 से 40 वर्ष (आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट) परन्तु-यह और कि ऐसे व्यक्तियों के मामले में जो पहले से उ0प्र0 राज्य कर्मचारी हों उन्हे शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2013 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में **5 वर्ष** की छूट दी जायेगी।

प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश

05 (पाँच) पद निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उ0प्र0, **पद का स्वरूप-** स्थायी/राजपत्रित/ पेंशन शासकीय नीति के अनुसार, **आरक्षण-** 02 पद अनारक्षित, 02 पद अनुसूचित जाति, 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत 01 पद उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित, (**विभाग संख्या-** सेवा-10/03), **वेतनमान-** रू0 9300-34,800/-, **ग्रेड-पे** रू0 4600/- (पुराना वेतनमान), **अर्हताएं अनिवार्य- (1)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, **(2)** अभ्यर्थी को राज्य सरकार के अधीन स्थायी कर्मचारी होना चाहिए तथा राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी कार्यालय में

लिपिकीय पद पर कम से कम **10** वर्ष की निरन्तर सेवा का अनुभव प्राप्त हो। **अधिमानी- (1) दस** वर्ष की अपेक्षित सेवा में कम से कम **तीन** वर्ष की पर्यवेक्षकीय हैसियत में सेवा या **(2)** ओ0 एण्ड एम0 में प्रशिक्षण या लोक प्रशासन (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) में डिप्लोमा या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि या कार्यालय का निरीक्षण करने का अनुभव, **(3)** प्रादेशिक सेना में **2 वर्ष** की न्यूनतम अवधि की सेवा, या **(4)** राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र। **आयुः** न्यूनतम 35 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष परन्तु स्थानापन्न/अस्थाई रूप से कार्यरत निरीक्षकों के लिए अधिकतम 50 वर्ष। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (एलोपैथी)

04 (चार) पद प्रधानाचार्य (एलोपैथी), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, **आरक्षण-** अनारक्षित, **वेतनमान** रू0 37400/- से 67000/-, **ग्रेड-पे** रू0 10000/- (पुराना वेतनमान), (**विभाग संख्या-** एस-8/01), **अनिवार्य अर्हताएं- (1)** एम0डी0/एम0एस0 या एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हता, **(2)** किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में आचार्य/ सहआचार्य/रीडर के रूप में कम से कम **10 वर्ष** का अध्यापन अनुभव, जिसमें कम से कम **05 वर्ष** आचार्य के रूप में होना आवश्यक है। **अधिमानी अर्हता-** किसी मेडिकल कालेज में विभागाध्यक्ष के रूप में अथवा किसी चिकित्सा संस्थान में हेड के रूप में प्रशासनिक अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। **आयुसीमा :** अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक (65 वर्ष)। किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में उ0प्र0 के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। **नोट-** अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम0सी0आई0 से रिकग्नाइज्ड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (एलोपैथी) (संशोधित विज्ञापन)

सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी **विज्ञापन संख्या-02/2015-16** के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेज में **आचार्य (प्रोफेसर)** के **47 (सैंतालिस)** पदों पर चयन हेतु निम्नवत् अनिवार्य अर्हता विहित की गयी थीः- **1.** संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, **2.** सहआचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में संबंधित विषय/विभाग में 04 वर्ष कार्य करने का अनुभव, **3.** सूचीबद्ध मेडिकस/राष्ट्रीय पत्रिका में न्यूनतम 04 शोध प्रकाशन एवं अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में एक शोध प्रकाशन की अर्हता वांछनीय (Desirable) के रूप में विज्ञापित की गयी थी। अग्रेतर सूच्य है कि शासन के पत्र संख्या-2842/71-1-2017-जी0-227/2010, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 द्वारा सूचित किया गया है कि एम0सी0आई0 रेग्युलेशन-1998 यथा संशोधित 08 जून, 2017 के अद्यतन संशोधनानुसार आचार्य पद हेतु निम्नवत् अनिवार्य अर्हता का प्राविधान किया गया हैः- **1. संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, 2. किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में सहआचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) के रूप में संबंधित विषय/विभाग में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव, 3. इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सहआचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो।** अतः एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थीगण निर्धारित प्रारूप पर आन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। आन-लाइन आवेदन की अन्य सेवा शर्तें **वेबसाइट** पर उपलब्ध हैं। पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने पूर्व आवेदन के समर्थन में संशोधित अर्हतानुसार यथावश्यक प्रमाण-पत्र/अभिलेख निर्धारित समयान्तर्गत भेज सकते हैं। इसके साथ ही समस्त विशिष्टताओं की संशोधित अर्हतानुसार सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

47 (सैंतालिस) पद आचार्य (एलोपैथी), पद का स्वरूप- राजपत्रित एवं अस्थायी, **आरक्षण-** अनारक्षित, **वेतनमान-** रू0 37400/- से 67000/-, **ग्रेड-पे-** रू0 8900/- (पुराना वेतनमान), **आयुसीमाः** 65 वर्ष (अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक)।

विशिष्टतावार रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षण निम्नवत् हैः-

क्र. सं0	पद/विशिष्टता का नाम- आचार्य	रिक्तियों की संख्या	सामान्य	अनु0 जाति	अ0पि0 वर्ग	विभाग संख्या
1	एनाटमी	03	03	00	00	सेवा-8/3
2	एनेस्थीसियोलाजी	02	02	00	00	सेवा-8/4
3	बायोकेमिस्ट्री	03	03	00	00	सेवा-8/5
4	कार्डियोलाजी	01	01	00	00	सेवा-8/6
5	डेन्टेस्ट्री	02	02	00	00	सेवा-8/7
6	ई0एन0टी0	02	02	00	00	सेवा-8/8
7	फोरेन्सिक मेडिसिन	02	02	00	00	सेवा-8/9
8	सामान्य मेडिसिन	02	02	00	00	सेवा-8/10
9	माइक्रोबायोलाजी	02	02	00	00	सेवा-8/11
10	आब्स. एवं गायनी	01	01	00	00	सेवा-8/12
11	आफ्थलमोलॉजी	02	02	00	00	सेवा-8/13
12	आर्थोपेडिक्स	01	01	00	00	सेवा-8/14
13	पीडियाट्रिक्स	02	02	00	00	सेवा-8/15
14	पैथालाजी	03	03	00	00	सेवा-8/16
15	फार्माकोलाजी	03	03	00	00	सेवा-8/17
16	फार्मेसी	01	01	00	00	सेवा-8/18
17	फिजियोलाजी	02	02	00	00	सेवा-8/19
18	साइकियाट्री	02	02	00	00	सेवा-8/20
19	रेडियोडायग्नोसिस	02	02	00	00	सेवा-8/21
20	रेडियोथिरेपी	02	02	00	00	सेवा-8/22
21	कम्युनिटी मेडिसिन	02	02	00	00	सेवा-8/23
22	स्किन एण्ड वी0डी0	01	01	00	00	सेवा-8/24
23	सामान्य सर्जरी	02	02	00	00	सेवा-8/25
24	टी0बी0	01	01	00	00	सेवा-8/26
25	ब्लड बैंक (इम्युनो-हेमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन)	01	01	00	00	सेवा-8/27
	कुल योग	47	47	00	00	

अर्हतायें अनिवार्यः- क्र.सं.-1 : आचार्य (एनाटामी) (क) एम0एस0 (एनाटामी)/एम0डी0 (एनाटामी)/एम0बी0बी0एस0 के साथ एम0एससी0 (एनाटामी)/एम0एससी0 (मेडिकल एनाटमी) के साथ पी0एचडी0 (मेडिकल एनाटमी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर एनाटामी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-2 : आचार्य (क) (एनेस्थीसियोलॉजी)** एम0डी0(एनेस्थीसियोलॉजी)/ एम0एस0 (एनेस्थीसियोलॉजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/ संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-3 : आचार्य (बायोकेमिस्ट्री) (क)** एम0डी0(बायोकेमिस्ट्री)/ एम0बी0बी0एस0 के साथ एम0एससी0 (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री)/ एम0एससी0 (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) के साथ पी0एचडी0 (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री)/ एम0एससी0 (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) के साथ डी0एससी0 (मेडिकल बायोकेमिस्ट्री) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-4 : आचार्य (कार्डियोलाजी) (क)** एम0डी0 (मेडिसिन) के साथ डी0एम0 (कार्डियोलाजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर कार्डियोलाजी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-5 : आचार्य (डेन्टेस्ट्री) (क)** एम0डी0एस0 अथवा डी0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर डेन्टेस्ट्री के रूप में डी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-6 : आचार्य (ई0एन0टी0) (क)** एम0एस0 (आटो-राइनो-लैरेन्जोलॉजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर आटो-राइनो-लैरेन्जोलॉजी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-7 : आचार्य (फोरेन्सिक मेडिसिन) (क)** एम0डी0 (फोरेन्सिक मेडिसिन) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर फोरेन्सिक मेडिसिन के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-8 : आचार्य (सामान्य मेडिसिन) (क)** एम0डी0 (मेडिसिन)/ एम0डी0 (सामान्य मेडिसिन) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर सामान्य मेडिसिन के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-9 : आचार्य (माइक्रोबायोलॉजी) (क)** एम0डी0 (बैक्टीरियोलॉजी)/एम0डी0 (माइक्रोबायलोजी)/ एम0बी0बी0एस0 के साथ एम0एससी0 (मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी)/ एम0एससी0 (मेडिकल माइक्रो0) के साथ पी0एचडी0 (मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी)/एम0एससी0 (मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी) के साथ पी0एचडी0 (मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी)/ एम0एससी0 (मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी) के साथ डी0एससी0 (मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी)/ एम0एससी0 (मेडिकल माइक्रोबायलजी) के साथ पी0एचडी0 (मेडिकल माइक्रोबायलोजी)/ एम0एससी0 (मेडिकल माइक्रोबायलोजी) के साथ डी0एससी0 (मेडिकल माइक्रोबायलोजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर माइक्रोबायलोजी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-10 : आचार्य (आब्स. एवं गायनी.) (क)** एम0डी0 (आब्स. एवं गायनी.)/एम0एस0 (आब्स. एवं गायनी.) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर आब्स. एवं गायनी. के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-11 : आचार्य (आफ्थलमोलॉजी) (क)** एम0एस0 (आफ्थलमोलॉजी)/एम0डी0 (आफ्थलमोलॉजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर आफ्थलमोलॉजी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-12 : आचार्य (आर्थोपेडिक्स) (क)** एम0एस0 (आर्थोपेडिक्स) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर आर्थोपेडिक्स के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-13 : आचार्य (पीडियाट्रिक्स) (क)** एम0डी0 (पीडियाट्रिक्स) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-14 : आचार्य (पैथालाजी) (क)** एम0डी0 (पैथालाजी)/पी0एचडी0 (पैथालाजी)/डी0एससी0 (पैथालाजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर पैथालाजी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-15 : आचार्य (फार्माकोलॉजी) (क)** एम0डी0 (फार्माकोलॉजी)/एम0बी0बी0एस0 के साथ पी0एचडी0 (मेडिकल फार्माकोलॉजी)/ एम0एससी0 (मेडिकल फार्माकोलॉजी) के साथ पी0एचडी0 (मेडिकल फार्माकोलॉजी)/एम0एससी0 (मेडिकल फार्माकोलॉजी) के साथ डी0एससी0 (मेडिकल फार्माकोलॉजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर फार्माकोलॉजी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-16 : आचार्य (फार्मेसी) (क)** बेसिक फार्मास्यूटिकल डिग्री के साथ स्नातकोत्तर अर्हता। **(ख)** रीडर/एसो0 प्रोफेसर फार्मेसी के रूप में पी0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **क्र.सं.-17 : आचार्य (फिजियोलाजी) (क)** एम0डी0 (फिजियोलाजी)/एम0बी0बी0एस0 के साथ एम0एससी0 (फिजियोलाजी)/एम0एससी0 (मेडिकल फिजियोलाजी) के साथ पी0एचडी0 (मेडिकल फिजियोलाजी)/ एम0एससी0 (मेडिकल फिजियोलाजी) के साथ डी0एससी0 (मेडिकल फिजियोलाजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर फिजियोलाजी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-18 : आचार्य (साइकियाट्री) (क)** एम0डी0 (साइकियाट्री)/एम0डी0 (साइकोलॉजिकल मेडि0)/एम0डी0 (मेडिसिन) के साथ डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर साइकियाट्री के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-19 : आचार्य (रेडियोडायग्नोसिस) (क)** एम0डी0 (रेडियोडायग्नोसिस)/एम0डी0 (रेडियोलॉजी)/ एम0एस0 (रेडियोलॉजी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर रेडियोडायग्नोसिस के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-20 : आचार्य (रेडियोथिरेपी) (क)** एम0डी0 (रेडियोथिरेपी)/एम0डी0 (रेडियोलॉजी)/ एम0एस0 (रेडियोथिरेपी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर रेडियोथिरेपी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-21 : आचार्य (कम्युनिटी मेडिसिन) (क)** एम0डी0 (सोशल एण्ड प्रिवेन्टिव मेडिसिन)/एम0डी0 (कम्युनिटी मेडिसिन) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-22 : आचार्य (स्किन एण्ड वी0डी0) (क)** एम0डी0 (डर्म0 एण्ड वेन0)/ एम0डी0 (डर्म0 वेन0 एण्ड लेप्रोसी)/एम0डी0 (डर्मटोलॉजी)/ एम0डी0 (डर्म0 इन्क्लूडिंग वेन0)/एम0डी0 (डर्म इन्क्लूडिंग वेन0/लेप0)/एम0डी0 (मेडिसिन) के साथ डी0वी0डी0 या डीडी0 अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर डर्म इन्क्लूडिंग वेन0 के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-23 : आचार्य (सामान्य सर्जरी) (क)** एम0एस0 (सर्जरी)/एम0एस0 (सामान्य सर्जरी) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर सामान्य सर्जरी के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-24 : आचार्य (टी0बी0) (क)** एम0डी0 (ट्यूबरक्लोसिस)/ एम0डी0 (टी0बी0 एण्ड रिस्पायरेट्री डिजीज)/एम0डी0 (मेडिसिन) के साथ टी0डी0डी0, डी0टी0डी0 या डी0टी0सी0डी0/ एम0डी0 (टी0बी0 एण्ड चेस्ट डिजीज) अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर टी0बी0 के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो। **क्र.सं.-25 : आचार्य (ब्लड बैंक) (इम्यूनो- हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन) (क)** डी0एम0 (इम्यूनोलॉजी) या एम0डी0 (इम्यूनोलॉजी-हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन)/ एम0डी0 (पैथालॉजी या बैक्टीरियोलॉजी या हिमैटोलॉजी) के साथ 02 वर्ष का शैक्षिक अनुभव या इम्यूनोलॉजी-हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन विभाग में विशेष प्रशिक्षण अथवा एम0सी0आई0 द्वारा मान्य समकक्ष अर्हतायें। **(ख)** एसो0 प्रोफेसर इम्यूनोलॉजी-हिमैटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रान्सफ्यूजन के रूप में मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्थान में 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव। **(ग)** इन्डेक्स्ड पत्रिका में 04 शोध प्रकाशन, जिसमें कम से कम 02 शोध प्रकाशन सह आचार्य के पद पर कार्यरत होने के दौरान पहले लेखक या संबंधित लेखक के रूप में प्रकाशित किया गया हो।

किसी प्रकार के प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी अपितु अभ्यर्थी को उसके एवज में शासनादेश के अनुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा। नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को जनहित में उ0प्र0 के किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

नोट- अनिवार्य अर्हता की मान्यता एम0सी0आई0/पी0सी0आई0/ डी0सी0आई0 से होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जायेगा। क्रमांक-16 पर स्थित विशिष्टता की अर्हताओं का उल्लेख एम.सी.आई. रेगु0 में न होने के कारण 'उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली' में विहित अर्हता के आधार पर किया गया है।

सामान्य अनुदेश

आनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि :

21.11.2017

आनलाइन आवेदन SUBMIT किये जाने की अन्तिम तिथि :

24.11.2017

ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी संलग्नकों सहित आयोग कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि : 01.12.2017

1. अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

2. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन जिस पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

3. हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।

4. आयु गणना की निश्चायक तिथि (जहाँ अन्यथा उल्लिखित न हो) 01 जुलाई, 2017 है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों (केवल समूह 'ख' एवं 'ग' के पदों हेतु) तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। इसी प्रकार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या-1648/79-5-2015, दिनांक 19 जून, 2015 के प्राविधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। उ0प्र0 राज्य कर्मचारियों की भांति अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों को भी शासनादेश संख्या-1508/15-08-2015-3057, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सम्पूर्ण सैन्य सेवावधि के अतिरिक्त 3 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है। शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। जिनके लिये शासनादेश दिनांक 13.01.2011 के अनुसार पद चिन्हांकित है।

5. आवेदन आयोग में प्राप्त होने के पश्चात धारित अर्हताओं, तथा श्रेणी में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने हेतु यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिये आहूत किये जाने अथवा चयन के लिये अधिकार नहीं प्रदान करता। साक्षात्कार की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

7. पद/पदों के लिये आवेदकों की संख्या/अधिक होने पर आयोग निर्दान परीक्षा (Screening Test) आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना यथा समय दी जायेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट (वस्तुनिष्ठ प्रकारक) आयोजित किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिये दण्ड (निगेटिव मार्किंग) की व्ययवस्था निम्नवत् लागू होगी।

(I) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 **(0.33)** दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

(II) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(III) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

8. मूल प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता जाँच के लिये साक्षात्कार के समय होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, के द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का अपना फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा।

9. ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हों, साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थी की अर्हता तथा पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो 'ON-LINE' आवेदन के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

12. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रकिया में SUBMIT बटन को Click करना अतिआवश्यक है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

13. अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल-प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण- पत्रों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। समय से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थन (Candidature) निरस्त कर दिया जायेगा।

13.1 आयु के प्रमाण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र।

13.2 निर्धारित अनिवार्य एवं वरीयान अर्हताओं की पुष्टि हेतु डिग्री/ डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण।

13.3 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामलों में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 18/1/2008 - का-2-2008, 3 फरवरी 2008 के साथ संलग्न प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

13.4 वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या-22/21/1983-का-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा।

13.5 किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये जाति प्रमाण- पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या-22/16/92-टी.सी.-प्प्/का- 2/2002 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 में निर्धारित प्रारूप में जो जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यकारी)/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./ तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्गत किया गया हो, मान्य होगा।

13.6 आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, विकलांगता से ग्रस्त, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

14. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

15. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित)ही आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22.01.1982, 08.03.1983 तथा शासनादेश संख्या- 3014, कार्मिक-2, 1982 दिनांक 18.10.1982 सपठित शासनादेश संख्या- 6/1972, कार्मिक-2 1982 दिनांक 15.01.1983 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वि-1-15-1(क) 14-2015 दिनांक 07-04-2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

16. किसी अनाचार किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

17. पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग से पत्र व्यवहार हेतु आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, विभाग संख्या, जन्म तिथि तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

18. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा website पर 'Contact Us' से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकेंगे।

19. अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक विज्ञापित अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक होगा।

परिशिष्ट-1: फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया।

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a **'Declaration'** for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the **Declaration** carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on **'I Agree' or 'I do not agree'** buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name

Personnel Details

This section shows information about candidate personnel

details i.e. Registration Number, candidate name, Father/ Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate shows the information details about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details Candidate address, photo & signature details Here you will see your complete communication address and photo with your signature.

Declaration segment

At the bottom of the page there is a **'Declaration'** for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on **"Preview"** button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned on entry time if you are sure with filled details then click on **"Submit"** button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

Otherwise using **"Back"** button option you can modify your details.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website http:// uppsc.up.nic.in in

CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

:- NOTIFICATIONS / ADVTS.

All Notification / Advertisements

:- ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration

2. Fee Deposition /Reconciliation

3. Submit Application Form

:- APPLICATION FORM STATUS

View Application Status

List of Applications Having photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

Print Address Slip for sending documents to Commission [Only for Direct Recruitment]

:- EXAMINATION SEGMENT

Print Conventional Form and Address Slip (New)

:- DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the weblink will be disabled.

Appendix-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box.

2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The entire image **(of size 3.5 cm by 6.0 cm)** consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *** .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png** format on local machine.

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than **50 KB.**

5. If the size of the file is more than **50 KB,** then adjust the settings of the scanner such as the **DPI** resolution, no. colours etc., during the process of scanning.

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in **CAPITAL LETTERS** is not permitted.

7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature :-

Recent photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board

परिशिष्ट

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी.................. सुपुत्र/सुपुत्री श्री.................. निवासी .... ग्राम........................ तहसील............. नगर....................................... जिला........ उत्तर प्रदेश राज्य की...................................जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/ संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी...

तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तर प्रदेश के ग्राम ....

तहसील ....

नगर..................... जिला.................में सामान्यतया रहता है।

स्थान ....
हस्ताक्षर.............................
दिनांक ....
पूरा नाम...
मुहर .... पद नाम................................
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार
/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारुप-।)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी......................... सुपुत्र/सुपुत्री .... निवासी .... तहसील .... नगर...... जिला.................................. उत्तर प्रदेश राज्य की............................पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.........................पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...
.........तथा/अथवा उनका परिवार
उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील ....
नगर....................... जिला............... में सामान्यतया रहता है।
स्थान ....
हस्ताक्षर ....
दिनांक .... पूरा नाम ....
मुहर .... पद नाम ....
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

ANNEXURE

Certificate No. .... Date ....

DISABILITY CERTIFICATE

width= 3.5 cm
Photo
Signature
1.5 cm Height= 4.5 cm

This is to certified that Shri/Smt/Kum.............. son/wife/ daughter of Shri... age .... Sex .... identification mark (c)................................. is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:
(i) BL-Both legs affected but not arms.
(ii) BA-Both arms affected
(a) Imparied reach
(b) Weakness or grip
(iii) BLA-Both legs and both arms affected
(iv) OL-One leg affected (right or left)
(a) Imparied reach
(b) Weakness of grip
(c) Ataxic
(v) OA-One arm affected
(a) Imparied reach
(b) Weakness of grip
(c) Ataxic
(vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stood)
(vii) MW- Muscular weakness and limited physical endurance

B. Blindness or Low Vision:
(i) B-Blind
(ii) PB-Partialy Blind

C. Hearing impairment:
(i) D-Deaf
(ii) PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period of .... years .... months.*

3. Percentage of disability in his/her case is .... percent.

4. Sh./Smt/Kum .... meets the following physical requirements for discharge of his/her duties:

(i) F-can perform work by manipulating with fingers Yes/No
(ii) PP-can perform work by pulling & pushing Yes/No
(iii) L-can perform work by lifting Yes/No
(iv) KC-can perform work by kneeling and crouching Yes/No
(v) B-can perform work by bending Yes/No
(vi) S-can perform work by sitting Yes/No
(vii) ST-can perform work by standing Yes/No
(viii) W-can perform work by walking Yes/No
(ix) SE-can perform work by seeing Yes/No
(x) H-can perform work by hearing/speaking Yes/No
(xi) RW-can perform work by reading and writing Yes/No

(Dr. ....) (Dr. ....) (Dr. ....)
Member Medical Board | Member Medical Board | Chairperson Medical Board

Countersigned by the
Medical Superintendent/
CMO/Head of Hospital
(with seal)

* Strike out which is not applicable

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....
निवासी ग्राम- .... नगर- .... जिला- .... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थानः हस्ताक्षर......................
दिनांकः पूरा नाम......................
पदनाम......................
मुहर......................
जिलाधिकारी
(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम .... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती / कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी .... पूरा पता ....ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित .... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) .... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर......................
दिनांक .... नाम..........................
पद ....
संस्था का नाम..................
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बान्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम . . . . राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासी (पूरा पता) ....ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) .... आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र .... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर......................
दिनांक .... नाम..........................
पद .... संस्था का नाम.................
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवास (पूरा नाम) .... विश्वविद्यालय की कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक .... से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय .... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर......................
दिनांक .... नाम..........................
पद ....
संस्था का नाम.................
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप - 4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश .... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री .... निवासा (पूरा पता) .... में .... स्कूल में कक्षा .... के विद्यार्थी ने दिनांक ....से दिनांक .... तक .... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशलन गेम्स की .... (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान .... हस्ताक्षर......................
दिनांक .... नाम..........................
पद ....
संस्था का नाम.................
मुहर ....

नोट : यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/ शिक्षा .... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

सचिव